फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
रामस्वरूप बनाम हनुमान वगै०

केस संख्या : प्रा.पत्र 28/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	25.07.2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या एक राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है उसे भूमाफिया लोगो से मिलकर बेचान करने पर आमदा है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। प्रार्थी ने उक्त तथ्यो के संबंध किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा प्रार्थी ने यह साबित नहीं किया है अप्रार्थीगण किस प्रकार से प्रार्थी की आराजी की मजामहत पैदा कर रहे है अर्थात प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय [illegible] के तथ्य साबित ना होने से प्रार्थीगण की प्रार्थना प[illegible] बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:40 IST
Reason: SelfAttested